फर्द अहकाम
( नियम 26 )

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )

**रामजीलाल वगै॰ बनाम राज॰ सरकार**

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआर एक्ट–1956

मुकदमा नम्बर : 42 / 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.02.2026 | पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है।<br>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण एवं मूली पत्नी नानगा जाति कलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के अतिरिक्त मूली पत्नी नानगा जाति कलाल भी संयुक्त रूप से प्रश्नगत आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है, जो कि प्रश्नगत आराजी में अपना हिस्सा रखती है किन्तु इन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बताया गया है। यदि उक्त खातेदार फौत हो चुका है, तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसे खातेदार की फौतगी एवं इनके समस्त विधिक वारिसान का वर्णन करते हुए समस्त विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार के रूप में सृजित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>दौसा (राज॰) | |